सत्यमेव जयते

संख्या– 3873 /जी0एस0(शिक्षा)/**A4-109-1**/2021

प्रेषक,

रीना जोशी
कुलाधिपति के अपर सचिव।

सेवा में,

कुलपति,
वीर माधो सिंह भण्डारी उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय,
सुद्धोवाला, देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : देहरादून : दिनांक : 25 सितम्बर, 2025

महोदय,

कृपया अस्थाई सम्बद्धता पोर्टल पर प्रस्ताव क्रमांक 230817030536 के माध्यम से राज्यपाल सचिवालय को प्रेषित निम्नलिखित प्रस्ताव का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि नियामक संस्था, निरीक्षण मण्ड़ल, कुलपति व कुलसचिव, वी०मा०सिं०भ० उत्तराखण्ड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त संस्तुति के दृष्टिगत विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा अद्यतन संशोधित) की धारा–24(2) के अधीन निम्नवत् संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा निम्नवत् उपबन्धों के साथ पूर्वानुमोदन प्रदान किया गया है :–

संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
ज्ञानी इन्दर सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, राजपुर रोड़, देहरादून	बी0फार्मा0	60	2023–24
	एम0फार्मा0 1. फार्मास्यूटिक्स 2. क्वॉलिटी एसूरेन्स	 15 15	

(1) विश्वविद्यालय की सूचना अनुसार विश्वविद्यालय द्वारा संस्थान में शैक्षिक सत्र 2023–24 में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को अन्यत्र फार्मेसी संस्थानों में हस्तांतरित कर दिया गया है और सत्र 2024–25 से संस्थान बन्द कर दिया गया है। इसके आलोक में संस्थान में सत्र 2023–24 तक अध्ययनरत छात्र–छात्राओं के सम्मुख भविष्य में मानकों की पूर्ति के अभाव में आने वाली कठिनाईओं/बाधाओं के लिए विश्वविद्यालय उत्तरदायी होगा।

(2) उपरोक्त के आलोक में ही नियामक संस्था, राज्य सरकार एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित सभी मानकों के पूर्ण होने की दशा में ही कार्यपरिषद के अनुमोदन से विहित शर्तों/उपबन्धों के अधीन अस्थाई सम्बद्धता के आदेश निर्गत करे व तत्सम्बन्धी कार्यवाही की सूचना मा0 कुलाधिपति महोदय के अवगतार्थ उपलब्ध कराये।

(3) यदि भविष्य में कोई सूचना या तथ्य गलत पाया जाता है, तो निर्गत अनुमति/

File No. RB-EDUC02/217/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 552)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 25/09/2025 04:30 pm

सम्बद्धता को निरस्त कर संस्थान के विरूद्ध आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जायेगी।

भवदीया,
Digitally signed by
REENA JOSHI
Date: 24-09-2025
12:00:13
(रीना जोशी)
कुलाधिपति के अपर सचिव।

संख्या– 3873 (1)/जी0एस0(शिक्षा)/**A4-109-1**/2021 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/निदेशक, संबंधित संस्थान।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

Digitally signed by
Anup Singh Negi
Date: 24-09-2025
12:02:53
(अनूप सिंह नेगी)
कुलाधिपति के अनुसचिव।

File No. RB-EDUC02/217/2023-RAJBHAWAN (Computer No. 552)
Generated from eOffice by VED PRAKASH MUHAR, RO-VPM, REVIEW OFFICER, Rajbhawan Uttarakhand on 25/09/2025 04:30 pm